संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक /टीसी/157/श्योपुर/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक:- / /2023

प्रति,

**1 कलेक्टर,
जिला श्योपुर (म.प्र.)।**

**2 संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)।**

**3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
जिला श्योपुर (म.प्र.)।**

**4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद श्योपुर
जिला श्योपुर (म.प्र.)।**

विषय:- श्योपुर विकास योजना, 2021 में आवासीय एवं मार्ग से मिश्रित एवं मार्ग में भूमि उपयोग में उपांतरण बाबत। (ग्राम कस्बा श्योपुर तहसील एवं जिला श्योपुर की कुल भूमि रकबा 0.6690 हेक्टेयर)

संदर्भ:- प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, भोपाल का म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (1) (क) के अधीन आवेदन पत्र क्रमांक 797 दिनांक 07/12/2022.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 भोपाल द्वारा **श्योपुर** विकास योजना, 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

**(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल**

पृ. क्रमांक 48 /टीसी/157/श्योपुर/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक:- 3/1/2023

प्रतिलिपि:-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2- संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल क वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

**वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल**

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

45

सूचना

भोपाल, दिनांक:- 3/11/ /2023

क्रमांक /टीसी/157/श्योपुर/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट **श्योपुर** विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	ग्राम कस्बा श्योपुर तहसील एवं जिला श्योपुर	248/1	0.0880	0.0880	आवासीय एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
2.		250/1	0.0790	0.0790	आवासीय एवं मार्ग	
3.		250/3	0.1880	0.1880	आवासीय एवं मार्ग	
4.		252/1	0.0100	0.0100	आवासीय	
5.		254/1	0.0100	0.0100	आवासीय	
6.		267/1	0.1470	0.1470	आवासीय	
7.		268/1	0.1470	0.1470	आवासीय एवं मार्ग	
	कुल रकबा		0.6690	0.6690		

नोट:-

1. **श्योपुर विकास योजना, 2021 में प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख मार्ग पाली हाईवे की चौड़ाई 40.00 मीटर निर्दिष्ट है, अत: मार्ग मध्य से दोनों ओर मार्ग विस्तार हेतु 20.00 - 20.00 मीटर भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।**
2. **प्रश्नाधीन भूमि के मध्य में स्थित मार्ग की चौड़ाई का निर्धारण विकास अनुज्ञा के समय किया जावेगा।**

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx

शर्त :-

1 **उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी।**

2. **उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 एवं श्योपुर विकास योजना, 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगें।**

3. **स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।**

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर तथा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय श्योपुर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx